

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:-102/2020/225 आर.टी.एक्ट (2020/00102)

श्री चन्दीराम पुत्र श्री नारूमल जाति सिन्धी, जरिए वसीयती वारिस

1. श्री भगवान पुत्र स्व0 श्री चन्दीराम जाति सिन्धी
2. रमेश पुत्र स्व0 श्री चन्दीराम जाति सिन्धी
निवासीगण एम 73 बी, रैम्बुल रोड, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्री महादेव पुत्र श्री तेजू जाति रावत निवासी-खानपुरा तहसील व जिला अजमेर जरिए वारिस
1/1 श्रीमती फेफी देवी पत्नि स्व0 श्री महादेव जाति रावत
1/2 जस्सा सिंह पुत्र स्व0 श्री महादेव जाति रावत
समस्त निवासी ग्राम खानपुरा तहसील व जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर।
3. सेटलमेंट कमिश्नर पुनर्वास एवं पदेन कलक्टर अजमेर हाल पुर्नवास कलक्टर अजमेर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,
विरुद्ध आदेश दिनांक 03.03.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
अजमेर राजस्व वाद संख्या 84/2003

उपस्थित:-

1. श्री के0डी0 खान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
3. रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 1/2 व 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक:-22.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 84/2003 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अपीलाधीन भूमि से प्रतिवादीगण की वेदखली के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है कि इसी राजस्व वाद के साथ आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बहस सुनते हुए उक्त प्रकरण को दिनांक 03.03.2020 को वादी द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वाद को खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 84/2003 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 से अरांतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांत की एकपक्षीय बहस सुनी गई। रेसपोडेंट संख्या 1/1, 1/2 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांत ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.3.2020 कि जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 18.3.2020 को ही प्रस्तुत कर दिया गया परंतु कोविड 19 के कारण लॉकडाउन दिनांक 22.3.2020 से 29.6.2020 तक स्थापित करते हुए न्यायालय का कार्य स्थगित किया एवं पक्षकारान तथा अधिवक्तागण का न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के संदर्भ में पाबंदी लगाई गई इस कारण अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 26.6.2020 को ही प्राप्त हुई तथा दिनांक 27 व 28 जून 2020 का राजकीय अवकाश होने के कारण अपील बिना किसी विलंब के प्रस्तुत है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।


5. हमने अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- LIMITATION ACT, 1963-
SECTION 5- When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.

चूंकि अपीलांत द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते हैं। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांत का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांत का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांत द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी/अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद


उज्जय अपील प्राधिकारी
अजमेर




अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपीलाधीन भूमि से प्रतिवादीगण की बेदखली के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया जो कि विचाराधीन है कि इसी राजस्व वाद के साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नंबर 441 रकबा 2-4-10 वर्किंग खसरा नंबर 425, चौसाला खसरा नंबर 400 रकबा 1-10-10 वर्किंग खसरा नंबर 413 रकबा 1-3-10, चौसाला खसरा नंबर 411 रकबा 4-4-0, खसरा नंबर 424 रकबा 4-0-10, चौसाला खसरा नंबर 412 रकबा 2-16-10 वर्किंग खसरा नंबर 425 रकबा 2-9-10, चौसाला खसरा नंबर 426 रकबा 2-17-10 वर्किंग खसरा नंबर 437 रकबा 2-17-10, चौसाला खसरा नंबर 424 रकबा 1-0-10, वर्किंग खसरा नंबर 435 रकबा 1-0-0 समस्त किस्म चाही जो ग्राम खानपुरा तहसील व जिला अजमेर की भूमि जो कि वादी/अपीलार्थी को, (निष्क्रान्त भूमि) कलक्टर (पुर्नवास) अजमेर के द्वारा दिनांक 15.10.1990 को आवंटित की गई थी तत्पश्चात वादी के पक्ष में आवंटित भूमि की सनद दिनांक 16.11.1991 को कलक्टर एवं सेटलमेंट कमीश्नर अजमेर के द्वारा जारी कर दिनांक 12.12.1991 को पंजीबद्ध करवा दी गई तत्पश्चात पंजीबद्ध सनद के अनुसार सक्षम अधिकारी के द्वारा नामान्तरण संख्या 28 दिनांक 09.03.1992 को स्वीकृत किया जाकर वर्किंग जमाबंदी में वादी/अपीलार्थी को खातेदार दर्ज किया गया तथा वर्तमान जमाबंदी के अनुसार भी वादी/अपीलार्थी ही खातेदार दर्ज है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि चौसाला खसरा नंबर 441 के वर्किंग खसरा नंबर 425, चौसाला खसरा नंबर 412 वर्किंग खसरा नंबर 425, चौसाला खसरा नंबर 426 वर्किंग खसरा नंबर 437, चौसाला खसरा नंबर 424 वर्किंग खसरा नंबर 435 की भूमि को वादी के द्वारा वाद पत्र एवं प्रकरण संख्या 84/2003 में से डिलिट (तर्क) किये जाने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था कि जिसमें चौसाला खसरा नंबर 441 एवं 412 तो पूर्व में ही तर्क किये जा चुके थे तथा चौसाला खसरा नंबर 426 के वर्किंग खसरा नंबर 437 चौसाला खसरा नंबर 424 के वर्किंग खसरा नंबर 435 की भूमि के संदर्भ में तर्क किये जाने हेतु भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के नाम भी तर्क किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, कि जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया बल्कि सम्पूर्ण विवादित भूमि के संदर्भ में आवेदन पत्र निरस्त कर आदेश पारित किया जब कि विवादित भूमि के चौसाला खसरा नंबर 400 रकबा 1-10-10 के वर्किंग खसरा नंबर 413 के वर्तमान खसरा नंबर 458 रकबा 0.25 एवं चौसाला खसरा नंबर 411 रकबा 4-4-0 के वर्किंग खसरा नंबर 424 के वर्तमान खसरा नंबर 427 रकबा 0.65 ग्राम खानपुरा तहसील व जिला अजमेर स्थित भूमि ही विवादित रही है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण भूमि के संदर्भ में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया विधि के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण संख्या 85/2003 का निस्तारण करने से पूर्व विवादित अपीलाधीन भूमि की वास्तविक मौका रिपोर्ट तहसीलदार अजमेर से तलब की गई कि जिस पर तहसीलदार अजमेर, हल्का पटवारी खानपुरा के द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.02.2020 प्रस्तुत की गई कि इस मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि अप्रार्थीगण रेस्पोंडेन्ट 1 से 7 के द्वारा विवादित भूमि को खुर्द बुर्द कर मिट्टी उठाकर खड़डे



खोदकर, मिट्टी खोदकर अन्य व्यक्ति को ईट निर्माण हेतु भारी मात्रा में बेचान भी की गई है, कृषि भूमि को नष्ट की गई तथा कृषि भूमि के उपजाऊ भी नष्ट की गई है, विवादित कृषि भूमि का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया गया ऐसी अवस्था में अपीलाधीन कृषि भूमि कि जिसमें भारी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी उठाने एवं खड़डे खोदने से काश्त योग्य ही नहीं रहेगी, जो कि रिसिवर कायम किये जाने का मुख्य आधार था जो कि तहसीलदार एवं पटवारी हल्का की मौका पर्चा दिनांक 19.02.2020 से स्पष्ट जाहिर है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार अजमेर से विवादित भूमि की वास्तविक मौका रिपोर्ट तलब की गई जो कि तहसीलदार, पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 19.02.2020 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत की गई परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के संदर्भ में किसी भी प्रकार से विवेचन ही नहीं किया गया जब कि विधिक प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि जो कि कब्जे को लेकर इनमिडियों है तथा मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित कृषि भूमि पर मिट्टी उठाकर खड़डा खोदकर भारी मात्रा में नुकसान किया है जो कि धारा 212 (2) के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को रिसिवर कायम किया जाना चाहिए था। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांत स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 84/2003 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं— आरआरडी 1989 पेज 470, आरबीजे 2007(14) पेज 260, आरआरटी 2003(2) पेज 1216, आरआरडी 1993 पेज 498, आरआरडी 2005 पेज 172, आरआरडी 1986 पेज 522, आरआरडी 1956 पेज 173.

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक उक्त प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है। अतः हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में किए गए निर्णय से उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।
8. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी/अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अपीलाधीन भूमि से प्रतिवादीगण की बेदखली के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है कि इसी राजस्व वाद के साथ आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बहस सुनते हुए उक्त प्रकरण को दिनांक 03.03.2020 को वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए गए। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.12.2020 को तैयार मौका पर्चा के अवलोकन से यह पाया कि हाल खसरा नम्बर 427 व खसरा नम्बर 426 (1767/426 व 1768/426) उक्त खसरा नम्बर में पूर्व में वहां मिट्टी उठाई थी व हाल में पानी भरा हुआ है व खसरा नम्बर 453 में किशनसिंह व 448 में रूकमादेवी पत्नि परसा सिंह वगै० व खसरा नम्बर 474 में महादेव पुत्र तेजा फसल काश्त करते हैं व खसरा नम्बर 425 व 424 मौके पर पडत है व पानी भरा हुआ है। अपीलांत द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कथन किया कि रेस्पोंडेंट द्वारा भूमि


अधिवक्ता अपील प्राधिकारी
अजमेर



खुर्द-बुर्द कर मिट्टी उठाकर खड़के खोदकर मिट्टी खोदकर अन्य व्यक्ति को ईट निर्माण हेतु भारी मात्रा में बेचान की गई है व कृषि भूमि को नष्ट की गई है। परंतु उक्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से अपीलांत द्वारा कहे गए कथन में कोई प्रमाणिकता नहीं पाई जाती है क्यों कि रेस्पोंडेंट द्वारा उक्त भूमि पर फसल काश्त की जा रही है मौका रिपोर्ट में इस बाबत कोई भी कथन अंकित नहीं है कि उनके द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द किया जा रहा है या किसी प्रकार की क्षति कारित की जा रही है या मौके पर किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां हैं। क्यों कि अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष व हाजा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र वास्ते रिसीवर नियुक्त किए जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है। जबकि अपीलांत का मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली हेतु विचाराधीन है। चूंकि अपीलांत अपनी अपील के माध्यम से जो अनुतोष चाह रहे हैं वह दिया जाना उचित नहीं है क्यों कि उनका मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है और वह प्रार्थना पत्र वास्ते रिसीवर के जरिए वही अनुतोष न्यायालय हाजा से चाह रहे हैं जो किसी भी परिस्थिति में दिया जाना उचित नहीं है। चूंकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का वाद विवाद हो या उक्त भूमि इनमिडियों रही हो अपीलांत द्वारा इस बाबत किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। न्यायालय हाजा द्वारा यदि प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश प्रसारित किया जाता है तो वह उचित नहीं होगा क्योंकि उभयपक्षकारन के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद लंबित है व अपीलांत अपनी अपील के माध्यम से वही अनुतोष चाह रहे हैं जिससे संबंधित वाद अधीनस्थ न्यायालय में अंतर्गत धारा 183 के तहत लंबित है चूंकि यदि रेस्पोंडेंट को उक्त आराजीयात से रिसीवर बाबत बेदखल किया जाता है तो अपीलांत को वही अनुतोष न्यायालय हाजा में प्राप्त होगा जो वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 183 में चाह रहे हैं तथा जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर किया जाना है, अतः निर्णय के पश्चात ही पक्षकारन के मध्य हक अधिकार तय होंगे। अतः दौराने वाद किसी प्रकार का नवीन आदेश दिया जाना उचित नहीं होगा क्यों कि अपीलांत द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो रिलिफ रिसीवर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से मांगी गई है वह बिना किसी विषम परिस्थिति के प्रकरण में पारित नहीं की जा सकती है। अपीलांत द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही ऐसी कोई विशेष परिस्थिति उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा को दृष्टिगत हुई है। चूंकि रिसीवर नियुक्ति का आदेश न्यायालयों का सबसे सख्त आदेश है जो प्रकरण में बिना किसी विषम परिस्थिति के दिया जाना न्याय संगत नहीं है। इस संदर्भ में हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया 2022 आर0बी0जे 349 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955- धारा 212-सपठित धारा 151-सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-" रिसीवर की नियुक्त एक कठोर कदम है, व एक काविज काश्तकार को रिसीवर की नियुक्ति के आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकता है। " हस्तगत प्रकरण में वर्तमान रेस्पोंडेंट वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में उसे रिसीवर जैसे कठोरतम आदेश से पाबंद किया जाना न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई विषम परिस्थिति उभयपक्षकारन के मध्य नहीं है कि न्यायालय को अपने

राजस्व अदालत प्राधिकारी
अदालत



सबसे कठोरतम आदेश को प्रभाव में लाना पड़े। इस बाबत हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। * जहां पर स्पष्टतया पजेशन प्रतिवादी का मानकर दावा बेदखली(इजेक्टमेंट) का किया गया हो और जहां पर टाईटल डिस्प्यूड में हो और एडमिटेडली वादी किसी विवादग्रस्त दस्तावेज के आधार पर पजेशन से बाहर हो तो रिसीवर कायमी न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है अन्यथा प्रतिवादी दावे का फैसला होने के पूर्व ही कब्जे से बाहर हो जाएगा। (जगदीश व अन्य बनाम ठाकर राम व अन्य, 1993 आरआरडी 513, पृष्ठ 515) * उक्त न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो अनुतोष चाहा गया है वह दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 84/2003 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर